उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर–थानों मार्ग, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज, रायपुर, देहरादून
वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in E-mail:chayanayog@gmail.com

संख्याः 1228 /अधियाचन/2026–27 | देहरादूनः दिनांक 24 जुलाई, 2026

विज्ञप्ति/शुद्धि–पत्र

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्याः 79/उ0अ0से0च0आ0/2026 दिनांक 21.07.2026 द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखाकार, सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक, कार्यालय सहायक–तृतीय (लेखा), कैशियर कम सहायक लेखाकार के कुल 379 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 12/XXX(2)/2014–55(41)/2004 दिनांक 31 जनवरी, 2014 तथा अधिसूचना संख्याः 107/XXX(2)/2014–55(41)/2004 दिनांक 25 फरवरी, 2014 में निहित प्राविधानों के क्रम में उक्त विज्ञापन के बिन्दु संख्या–7–आयु में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्राविधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
i सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2008 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।	i सहायक लेखाकार/कनिष्ठ सम्परीक्षक (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के पदों हेतु अभ्यर्थी को उक्त तिथि को **न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए तथा अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए** अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2008 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
ii अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।	ii अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को **न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए तथा अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए** अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त विज्ञापन में शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(एन0 एस0 डुंगरियाल),
सचिव।